

राजकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान रिकांगपियो जिला किन्नौर हि०प्र०
के छात्र निधि लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017
भाग - एक

1. वर्तमान अंकेक्षण

संस्था के अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017 के छात्र निधि लेखों का वर्तमान एवं प्रथम अंकेक्षण श्री अनिल शर्मा, अनुभाग अधिकारी (ले.प.) व श्री रविंदर सिंह अनुभाग अधिकारी (ले.प.) द्वारा दिनांक 27.11.2017 से 28.11.2017 के दौरान रिकांगपियो में किया गया।

विस्तृत जांच हेतु चयनित किए गए मासों का विवरण निम्न प्रकार से वर्णित है।

अवधि	आय की विस्तृत जाँच हेतु चयनित मास	व्यय की विस्तृत जाँच हेतु चयनित मास
2015-16	03/16	09/15
2016-17	04/16	12/16

अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नलिखित आहरण एवं सवितरण अधिकारी संस्थान में कार्यरत रहे।

क्र.सं.	आहरण एवं सवितरण अधिकारी का नाम	अवधि
1	श्री विवेक नेगी	1.4.2015 से 31.3.2017

वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन का प्रारूप संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। संस्था द्वारा कोई सूचना अथवा अभिलेख उपलब्ध न करवाने व गलत सूचना उपलब्ध करवाने हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

2. अंकेक्षण शुल्क

संस्था के अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹4000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हि प्र शिमला -9 को भेजने हेतु संस्थान से अंकेक्षण अध्याचना संख्या 635/2017 दिनांक 28.11.2015 द्वारा आग्रह किया गया।

3. वित्तीय स्थिति

राजकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान रिकांगपियो द्वारा उपलब्ध करवाई गई वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण परिशिष्ट - "क" पर सलग्न है।

4. निवेश:-

बचत खाते में पड़ी अधिक्य (Surplus) राशि को लम्बी अवधि हेतु सावधि जमा योजना में निवेश न करने से ब्याज की सम्भावित हानि बारे

हिमाचल प्रदेश राजकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान छात्र कल्याण निधि नियम 2009 के नियम 4 (ख) के अनुसार छात्र कल्याण निधि में पड़े अधिक्य (Surplus) राशि को लम्बी अवधि हेतु निवेश किया जाना अपेक्षित है ताकि निवेश से अधिक ब्याज की प्राप्ति की जा सके। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान रिकांगपियो के पास दिनांक 31.3.2017 को ₹279108 जमा थी जिसे सावधि जमा योजना में निवेश नहीं किया गया था। अतः बचत खाते में जमा अधिक्य (surplus) राशि को सावधि जमा योजना में निवेश न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा भविष्य में अधिक्य राशि को सावधि जमा योजना में निवेश किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि अधिक ब्याज की प्राप्ति की जा सके।

- 5 प्रवेश शुल्क (Admission Fee) की ₹3600 को अनाधिकृत रूप से छात्र कल्याण निधि की रोकड़ बही में जमा करना।

नियमानुसार छात्र कल्याण निधि की रोकड़ बही में छात्रों से प्राप्त निधि की राशि को ही छात्र कल्याण निधि की रोकड़ बही में दर्ज किया जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण में छात्र कल्याण निधि की रोकड़ की पड़ताल पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार प्रवेश शुल्क (Admission Fees), की ₹3600 को अनाधिकृत रूप से छात्र कल्याण निधि की रोकड़ बही में लेखांकित किया गया था, अतः इस त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इसे नियमानुसार सरकारी कोष में जमा करवाया जाए तथा भविष्य में इस प्रकार की प्राप्तियों जैसे कि Admission Fees को छात्र कल्याण निधि की रोकड़ बही में दर्ज किए जाने से परिहार किया जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

Sr. No	Name of Funds	Period for which amount entered in Cash Book	Amount which Recorded in Cash Book
1	Admission Fees	2015-16	2200
2	Admission Fees	2016-17	1400
	Total		₹3600

- 6 छात्र कल्याण निधि की रोकड़ बही में निधियों के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनों हेतु प्राप्त ₹2.03 लाख को जमा करने बारे।

हिमाचल प्रदेश औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान छात्र कल्याण निधि नियम 2009 के अनुसार छात्र कल्याण निधि की रोकड़ बही में छात्रों से सम्बन्धित निधियों की प्राप्तियों व भुगतान का विवरण दर्ज किया जाना अपेक्षित होता है। अंकेक्षण के दौरान रोकड़ बही की पड़ताल पर पाया गया कि छात्रों से निधि की प्राप्तियों व भुगतान के अतिरिक्त विभिन्न प्रयोजनों हेतु प्राप्त राशियों एवं भुगतानों को भी छात्र कल्याण निधि की रोकड़ बही में लेखांकित किया गया था जो किसी भी रूप से छात्र कल्याण निधि से संबन्धित नहीं थी। इन सभी राशियों का विवरणानुसार निम्न दिया गया हैं। अतः विभिन्न संस्थाओं से विभिन्न प्रयोजनों हेतु प्राप्त राशियों को छात्र कल्याण निधि की रोकड़ बही में दर्ज करने का औचित्य नियमों के दृष्टिगत स्पष्ट किया जाए इसे सम्बंधित रोकड़ बही तथा बैंक खाते में हस्तांतरित किया जाए तथा भविष्य में छात्रों से निधि की प्राप्तियों व भुगतान को ही छात्र कल्याण निधि की रोकड़ बही में दर्ज किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

Date of Receipt	Amount Received	Cash Book Page no.	Purpose for Which Amount Received
5-3-2016	101500	23	Amount received for sale of Tender form for purchase of Machinery equipment of Women I.T.I. Under P.P.P.Mode.
9-3-2016	25500	25	Amount received for sale of Tender form for purchase of Machinery equipment of Women I.T.I. Under P.P.P.Mode.
5-4-2016	75970	27	Security of Supplier of Machinery equipment of Women I.T.I. Under P.P.P.Mode.
Total	₹202970		

7 ₹2420 के भुगतान से संबन्धित रसीद की प्राप्ति न करना

अंकेक्षण के दौरान विभिन्न वाऊचरो की पड़ताल पर पाया गया कि निम्न विवरण अनुसार ₹2420 का भुगतान विभिन्न संस्थाओं को किया गया दर्शाया गया था। परंतु भुगतान की एवज में रसीद प्राप्त नहीं की गई। जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा रसीदों को संबन्धित संस्थाओं से प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

Voucher No & Date	Cash Book Page No.	Amount Paid	To Whom Paid	Purpose
Nil of 19.9.2015	13	220	Director Technical Education Sundernagar	Corpus Fund Of 11 Students
Nil of 19.9.2015	13	2200	Manager Future General Insurance Solan	LIC Fund Of 11 Students
Total		₹2420		

8 निधि से प्राप्त राशियों को अनियमित रूप से हस्तगत रखना:-

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान रिकांगपियो की रोकड़ बही की पड़ताल पर पाया गया कि छात्र कल्याण निधि की राशि को अनियमित रूप से हस्तगत रखा गया था। नियमानुसार प्राप्त राशि को उसी दिन या आगामी कार्य दिवस में बैंक में जमा किया जाना अपेक्षित था। परन्तु निम्नलिखित मामलों में संस्थान द्वारा ऐसा नहीं किया गया। जिसमें प्राप्त राशि के दुरुपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अत्याधिक मात्रा में राशि को हस्तगत रखना एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा मामले में अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

Sr.No	Date of Collection	Amount	Cash Book Page No.	Date of Cash in Hand Deposited In Bank
1	14.7.2015	6840	5	21.07.2015
2	16.7.2015	3420	5	21.07.2015
3	27.7.2015	10260	7	5.8.2015
4	28.7.2015	3420	7	5.8.2015
5	29.7.2015	10260	9	5.8.2015

9 रसीद बुकों के स्टॉक रजिस्टर का रख-रखाव न करना

संस्थान के लेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि संस्थान द्वारा छात्रों से निधियों एवं आय की प्राप्ति हेतु रसीदों के लिए रसीद बुकों के स्टॉक रजिस्टर का रख-रखाव नहीं किया गया था। स्टॉक रजिस्टर के अभाव में रसीद बुकों के दुरुपयोग की सम्भावना बनी रहती है। अतः अपेक्षित रजिस्टर का रख-रखाव जिसमें रसीद बुकों की प्राप्ति का स्रोत एवं मात्रा रसीद बुकों के क्रमांक सहित दर्ज करने के पश्चात रसीद बुकों को जारी करने की मात्रा (क्रमांक व प्राप्तकर्ता के नाम व हस्ताक्षर सहित) दर्ज करने के अतिरिक्त संस्थान के पास शेष रसीद बुकों की मात्रा भी दर्ज की जाए तथा इन्हें सक्षम अधिकारी से सत्यापित भी करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

10 स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न किया जाना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संस्थान द्वारा अंकेक्षण अवधि में स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था, जबकि नियमानुसार स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन वार्षिक आधार पर किया जाना अपेक्षित है। अतः नियमानुसार स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

11 लघु आपत्ति विवरणिका:- लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है, लघु आपत्तियों का निपटारा अंकेक्षण के दौरान कर लिया गया।

12 निष्कर्ष - :लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/-
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009
फोन नं० 0177-2620881

पृष्ठांकन संख्या:- फिन(एल0ए0)एच(2)(सी)(15)(xi)(9) 41/2017 खण्ड-1-2624-2625 दिनांक13.04.2018 शिमला-09
प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-
1 निदेशक, तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सुन्दरनगर हि0प्र0
पंजीकृत 2 प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान रिकांगपिओ (महिला), जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश
को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई का सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/-
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009
फोन नं० 0177-2620881